

मुकदमा नम्बर 31/2021  
शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,  
जिला बीकानेर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

निर्णय दिनांक 12.02.2021  
पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ

बनाम

- प्रार्थी -

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ।
3. पदमा पत्नी रेवंतराम जाति जाट निवासी जाखासर तह.श्रीडूंगरगढ।
4. छोटाराम पुत्र रेवंतराम जाति जाट निवासी जाखासर तह.श्रीडूंगरगढ।

- अप्रार्थीगण -

उपरिस्थिति:-

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 के विरुद्ध एकतरफा
3. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की 1/6 हिस्से की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 44 तादादी 8.21 हैक्टेयर वाकेरोही जाखासर भोमसिहावतान पटवार हल्का जाखासर व अप्रार्थी सं. 3 व 4 की 1/2 हिस्से की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 701/127 तादादी 4.30 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 703/638 तादादी 3.29 हैक्टेयर बरानी वाकेरोही जाखासर पटवार हल्का जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अपनी उपरोक्त हिस्सों की खातेदारी भूमि पर के.सी.सी. व अन्य ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2017 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 12 अक्टूबर 2017 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त 6 (1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6 (1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने सही रूप से रोही जाखासर के खेत खसरा नम्बर 44 के लिए नामान्तरण संख्या 531 व रोही जाखासर भोमसिहावतान के लिए नामान्तरण संख्या 75 दिनांकित 17.10.2017 को दर्ज रजिस्टर कर तहसील कार्यालय में पेश किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को भिजवाई गई। उक्त 6 (1) के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 व 4 को के.सी.सी. व अन्य कृषि ऋण प्रदान कर दिया गया। कुछ समय बाद प्रार्थी बैंक द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 व 4 के खसरे की सर्च की गई तो पता चला कि उक्त खसरे को राजस्व अमला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ) के नाम गलत रूप से रहन दर्ज कर दिया गया है। नामान्तरण सं. 75 दिनांक 17.10.2017




*(Signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

के द्वारा नम्बर 531 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा मजदूर को भोगसिहावतान  
 नम्बर 701/127 व 703/638 रोही जाखासर में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के विषयों की  
 भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भीड़गणगाढ़ के  
 नाम रहन का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अप्रार्थी  
 संख्या 2 के यहां कोई ऋण आवेदन नहीं किया था। जगत प्रयास पुणे का  
 नामान्तरण सही रूप से प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा  
 पंचायत समिति श्रीदुंगरगढ़ के नाम दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी  
 संख्या 3 व 4 को भी कहा कि अपने मेरी बैंक संस्था में ऋण का आवेदन किया  
 था व आपको ऋण प्रदान किया गया है परन्तु आपके हिस्सों के खेतों पर जगत का  
 इन्तकाल हनारी बैंक शाखा के नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है व जगत प्रयास  
 का इन्तकाल मजदूर रूप से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भीड़गणगाढ़  
 के नाम दर्ज हो गया, आप इसे दुरुस्त करवाओ तो अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने मजदूर  
 लि. 6 (1) आने सरकार दिया था और हमने तहसील कार्यालय में पेश कर दिया  
 मजदूर का इन्तकाल लि. बैंक के नाम दर्ज हुआ मजदूर हमें पता नहीं है व ना ही  
 हनारी कोई मजदूर है, आप जानें व आपका काम जाने। प्रार्थी बैंक को जगत मजदूर  
 रहन के बारे में पता चलने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में  
 लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 को प्रस्तुत कर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय  
 ग्रामीण बैंक शाखा श्रीदुंगरगढ़ के स्थान पर प्रार्थी बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय  
 ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति, श्रीदुंगरगढ़ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व ऑन  
 लाइन रिकार्ड शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी 1 ने प्रार्थी बैंक को  
 कहा कि जिस प्रकार से यह गलती हुई है उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से  
 आदेश लेकर आना होगा, बिना न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण  
 करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी 1 ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर  
 दिया। राजस्व रिकार्ड व ऑन लाइन रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी  
 संख्या 1 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सभी  
 रूप से इन्तकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी बैंक को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है व  
 प्रार्थी बैंक अप्रार्थी सं. 3 से ऋण की वसूली करने में भी असमर्थ हो गया है। अप्रार्थी  
 संख्या 3 व 4 की खातेदारी के उक्त खेतों का रहन का इन्तकाल मजदूर रूप से  
 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने  
 अप्रार्थी संख्या 2 के यहां ना तो ऋण आवेदन किया है ना ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा  
 कोई 6 (1) ही जारी किया व ना ही अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अप्रार्थी सं. 2 के यहां  
 से कोई ऋण ही प्राप्त किया है। जनाबन्दी व धारा 6 (1) के अधीन की घोषणा एवं  
 प्रार्थी बैंक द्वारा शुद्धिकरण करने के निवेदन का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 की  
 प्रतियां प्रस्तुत है। वर्णित खसरा नूनि ग्राम जाखासर व जाखासर भोगसिहावतान  
 तहसील श्रीदुंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त  
 प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:-

खसरा नम्बर 44 तादादी 8.21 हैक्टेयर रोही जाखासर भोगसिहावतान  
 व खसरा नम्बर 701/127 तादादी 4.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 703/638 तादादी  
 4.30 हैक्टेयर बरानी वाकरोही जाखासर तहसील श्रीदुंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व  
 ऑन लाइन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्सों की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2



*Original*  
 उपरोक्त अधिकारी  
 श्रीदुंगरगढ़ (बीकानेर)

(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़) के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 वावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 (पैरोकार राज स्टेट की तरफ से) ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

### आदेश

खेत खसरा नम्बर 44 तादादी 8.21 हैक्टेयर बारानी वाके रोही जाखासर भोमसिहावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्सों की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़) के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। रहन मुताबिक आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कुर्कवाकर दाखिल दफ्तर हो।



*(Signature)*

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)